ORIGINAL RESEARCH PAPER

History

KEY WORDS: पंचायती राज, संवैधानिक, जनप्रतिनिधि, रूढ़ीवादी।

मेरठ मण्डल में महिला सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका

निशा बालियान शोधार्थी, इतिहास विभाग, एस० आर० टी० परिसर० हे०न०ब०ग० विष्वविद्यालय श्रीनगर।

प्रो० जे०सी० जोशी प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, एस० आर० टी० परिसर० हे०न०ब०ग० विश्वविद्यालय श्रीनगर।

ABSTRACT

भारत में पंचायती राज की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। भारत में पंचायती राज का पुराना इतिहास रहा है। समय और तत्कालीन परिस्थितियों ने उन आयामों का निर्धारण कर दिया। जिससे खुद ही पंचायतों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। 73वां संविधान संसोधन सम्पूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया है। इस संसोधन से अब पंचायतों को संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ है और महिलाओं की भागीदारी के लिए पंचायत के प्रत्येक स्तर पर कम से कम एक तिहाई पद आरक्षित किये गये है। मेरठ मण्डल में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण समाज विकास की ओर अग्रसर है और महिलाएँ इस व्यवस्था में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है। महिला जनप्रतिनिधि समग्र समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाएँ अब रूढ़ीवादी सोच को छोड़कर काम करती है और अपने क्षेत्र का विकास करती है।

भारत में पंचायती राज की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। भारत में पंचायती राज का पुराना इतिहास रहा है। समय और तत्कालीन परिस्थितियों ने उन आयामों का निर्धारण कर दिया। जिससे खुद ही पंचायतों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। भारत में विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप पंचायतें लगभग समाप्त हो गई परन्तु फिर भी इन्होंने अपना अस्तित्व में बनाए रखा। वर्तमान में पंचायतें राज व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन गई। हमारे देश में 1935 में महिलाओं को मतदान का हक मिल गया, इंडियन वीमेन्स कौसिंल का जन्म ऐनी बेसेन्ट की अध्यक्षता में हुआ, यह संगठन मुख्य रूप से शिक्षा राजनीति और कानूनी सुधारों का पक्षधर था।

1976 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया पूरे विष्व में केवल 05 देशों में ही महिलाएँ संसद की 30 प्रतिशत सीटों पर आसीन हैं इसके अतिरिक्त 36 देशों में 05 प्रतिशत से भी कम संसदीय पद उनके पास हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार विष्व में सबसे बड़ा भेदभाव लिंग भेद है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है लेकिन वहाँ महिलाएँ स्वावलम्बी हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांगलादेश में महिलाएँ प्रधानमंत्री रही हैं किन्तु यहाँ महिलाएँ आज भी परतन्त्र हैं। मेरठ मण्डल में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण समाज विकास की ओर अग्रसर है और महिलाएँ इस व्यवस्था में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है, महिलाएँ ग्रामीण परिवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाओं की कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं, जिन पर पुरूषों का ध्यान ही नहीं जाता। अतः ये महिला जनप्रतिनिधि समग्र समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

73वां संविधान संसोधन सम्पूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया है। इस संसोधन से अब पंचायतों को संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ है और महिलाओं की भागीदारी के लिए पंचायत के प्रत्येक स्तर पर कम से कम एक तिहाई पद आरक्षित किये गये है। मेरठ मंडल के पांचों जिलों (मेरठ, बुलंदषहर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर) में 1995 से 2015 के मध्य जो चुनाव हुए हुए है। उनके आंकड़ों के विष्लेषण के आधार पर हम कह सकते है कि वर्ष 1995 के चुनाव पंचायतों के केवल एक तिहाई पदों पर ही महिलाओं का निर्वाचन हुआ परन्तु समय के साथ–साथ परिस्थितियाँ बदल रही है और धीरे–धीरे महिलाओं की भागीदारी पंचायतों में बढ़ रही है जिसके कारण लगभग आधे पदों पर निर्वाचित होकर आती है और कभी–कभी वह पंचायत के किसी स्तर के निर्वाचन में कुल निर्वाचन 60 प्रतिषत पदों पर निर्वाचित होती है। यद्यपि अभी भी वे अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। मेरठ मंडल में राजनीति में अपराधीकरण भी आजकल आम बात है ऐसी परिस्थितियों में एक महिला खुलकर अपनी बात नहीं कह पाती और कई बार वह स्वतन्त्र निर्णय भी नहीं ले पाती। कुछ महिलाएं निर्वाचित तो हो जाती है परन्तु उन्हें अपने पद और अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता सब कुछ उसके पुरूश अभिभावक ही देखते है, अतः अभी भी 73वें संविधान संसोधन की मंषाएं पूर्ण नहीं हुई है। आज भी एक महिला जनप्रतिनिधि और विषेष तौर पर दलित महिला जनप्रतिनिधि कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से तो छोड़िये, वह कोई भी निर्णय नहीं लेती, और कभी–कभी तो उसे लोगों की समस्याओं और समाधानों का पता ही नहीं होता यह सब इसीलिए क्योंकि हमारे पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को आज भी हीन दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें इस लायक समझा ही नहीं जाता की वह कोई भी वह कोई भी स्वतंत्र निर्णय ले सके लेकिन जिस तरह हर रात के पीछे एक सवेरा आता है उसी तरह आज महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही है और वह दिन दूर नहीं है जब वह खुद अपने लिए और अपने पद के अनुरूप स्वतंत्र निर्णय ले सके।

मेरठ मंडल में वर्ष 2005 में जिला पंचायत स्तर पर कुल 126 पदों में से 61 पदों पर

स्त्रोतः– जिला पंचायत कार्यालय।

महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 48.41 प्रतिशत है और वर्ष 2015 में कुल 135 पदों में से 49 पदों पर महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जो कि कुल निर्वाचन का 36.30 प्रतिशत है इस प्रकार आंकड़ों के विष्लेशण से पता चलता है कि महिला जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन प्रतिशत में कमी आई है। इसी प्रकार ब्लाक स्तर पर वर्ष 2005 में 3586 पदों में से 1407 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ है जो कि कुल निर्वाचन का 39.24 प्रतिशत है और वर्ष 2015 में 3260 पदों में से 1333 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 40.89 प्रतिशत जोकि 2005 की तुलना में ज्यादा है। मेरठ मंडल के ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 2005 में 2224 पदों में से 1079 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 48.52 प्रतिशत है और वर्ष 2015 में 2119 पदों में से 832 पदों पर महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 39.29 प्रतिशत है जोकि 2005 की तुलना में कम है। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ो के विष्लेशण के आधार पर हम कह सकते है कि महिलाओं का निर्वाचन स्तर में 2015 में 2005 की अपेक्षा कमी आयी है।

जनपद	पंचायत स्तर	2005			2015		
		महिला	पुरूश	कुल	महिला	पुरूश	कुल
मेरठ	जिला स्तर	12	19	31	14	20	34
	ब्लाक स्तर	337	465	802	346	518	864
	ग्राम स्तर	237	223	460	198	400	598
बुलंदशहर	जिला स्तर	25	21	46	14	29	53
	ब्लाक स्तर	462	744	1206	548	774	1322
	ग्राम स्तर	420	459	879	391	566	957
बागपत	जिला स्तर	9	10	19	08	13	21
	ब्लाक स्तर	197	287	484	211	309	520
	ग्राम स्तर	122	115	237	107	138	245
गजियाबाद	जिला स्तर	7	9	16	7	11	18
	ब्लाक स्तर	260	445	705	138	204	342
	ग्राम स्तर	181	224	405	68	98	166
गौतमबुद्ध नगर	जिला स्तर	8	6	14	6	3	9
	ब्लाक स्तर	151	238	389	90	122	212
	ग्राम स्तर	119	124	243	68	85	153

स्त्रोतः– जिला पंचायत कार्यालय।

महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 48.41 प्रतिषत है और वर्ष 2015 में कुल 135 पदों में से 49 पदों पर महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जो कि कुल निर्वाचन का 36.30 प्रतिषत है इस प्रकार आंकड़ों के विष्लेशण से पता चलता है कि महिला जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन प्रतिषत में कमी आई है। इसी प्रकार ब्लाक स्तर पर वर्ष 2005 में 3586 पदों में से 1407 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ है जो कि कुल निर्वाचन का 39.24 प्रतिषत है और वर्ष 2015 में 3260 पदों में से 1333 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 40.89 प्रतिषत जोकि 2005 की तुलना में ज्यादा है। मेरठ मंडल के ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 2005 में 2224 पदों में से 1079 पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 48.52 प्रतिषत है और वर्ष 2015 में 2119 पदों में से 832 पदों पर महिला जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ जोकि कुल निर्वाचन का 39.29 प्रतिषत है जोकि 2005 की तुलना में कम है। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ो के विष्लेशण के आधार पर हम कह सकते है कि महिलाओं का निर्वाचन स्तर में 2015 में 2005 की अपेक्षा कमी आयी है।

सन्दर्भ सूची

1. झा द्विजेन्द्र नारायण एवं श्रीमति कृष्ण मोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, 2003, पृ0सं0–128
2. मेरठ मंडल में महिला जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार से प्राप्त आँकड़ो के विश्लेषण पर आधारित।
3. सैनी डॉ0 अभिलाषा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा।
4. शर्मा डॉ0 नीरजा, महिला सशक्तिकरण, 2013, पृ0सं0–99
5. माथुर डा0 सावित्री, जैन डा0 मोनिका, आधुनिक समाज में महिलाएँ समस्याएँ एवं समाधान, पृ0सं0–206
6. शर्मा, डॉ0 नीरजा, महिला सशक्तिकरण, 2013, पृ0सं0–236
7. गर्ग, प्रियंका, महिला विवाह दहेज एवं दाम्पत्य समस्याएँ, पृ0सं0–236
8. शर्मा, डॉ0 नीरजा, महिला सशक्तिकरण, 2013, पृ0सं0–97
9. श्रीवास्तव डॉ0 मधुलिका, महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम सशक्तिकरण महिलाओं की बदलती प्रस्थितियाँ।